# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12/94/2019 | 25–10–2019 | 11–11–2020 |

01. सुरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद कौम मीना
02. राजेश पुत्र रामप्रसाद कौम मीना निवासीयान ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर राज0। —अपीलांट्स

**बनाम**

03. तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर। —रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर दिनांक 28.08.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 06/2019

**उपस्थितः–**

01–श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट

**–:निर्णयः–**

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 28.08.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम रोनीजाथान की सरकारी बा0सो0 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1642 रकबा 01.64 है0 में से 0.64 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रोनीजाथान की सरकारी बा0सो0 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1642 रकबा 01.64 है0 में से 0.64 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 08.07.2019 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 28.08.2019 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट्स द्वारा दिनांक 25.10.2019 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है तथा तहसीलदार कठूमर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट्स का अतिक्रमण हटाना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट्स को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट्स को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

**निर्णय आज दिनांक 11–11–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)